"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012—कार्तिक 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (56).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि, रायपुर विकास प्राधिकरण या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटित आवासीय भू-खण्डों/आवासीय भवनों के, पट्टाधृति (Leasehold) अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23 के अधीन स्टाम्प शुल्क कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए दिये गये प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु प्रभार्य शुल्क की रकम किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (56), दिनांक 2-11-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd November 2012

NOTIFICATION

No. F 10-41/2012/CT(R)/V (56).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby directs that the stamp duty under article 23 of Schedule 1-A of the said Act, on the instrument of conveyance, executed by Raipur Development Authority or Chhattisgarh Housing Board, relating to conversion of lease hold rights into freehold rights, of residential plots/residential buildings alloted on lease for 30 years, shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of duty chargeable shall be less than One hundred rupees.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (57).—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (51) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (52) जोड़ा जाता है :—

(52) रायपुर विकास प्राधिकरण या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटित आवासीय भू-खण्डों/आवासीय भवनों के, पट्टाधृति (Leasehold) अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर, रजिस्ट्रीकरण शुल्क कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए दिये गये प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु प्रभार्य शुल्क की रकम किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-41/2012/वाक. (पं.)/पांच (57), दिनांक 2-11-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd November 2012

NOTIFICATION

No. F 10-41/2012/CT(R)/V (57).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item No. (52) shall be added after item No. (51), namely :—

(52) The registration fees on the instrument of conveyance, executed by Raipur Development Authority or Chhattisgarh Housing Board, relating to conversion of lease-hold rights into free-hold rights, of residential plots/residential buildings alloted on lease for 30 years, shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of duty chargeable shall be less than One hundred rupees.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.